सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या :– 03/60/2025 आर्नलाईन नम्बर:–2025/299 प्रवेश तिथि:–22.08.2025

1. प्रभाती पुत्र रामलाल मीणा आयु 60 साल निवारी ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर ।
…………..प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसीलदार राजगढ जिला अलवर। ………………अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री मनोज मीना एड0 प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार राजगढ–अप्रार्थी

दिनांक 15/10/2025

:निर्णय:–

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता संख्या 319 आराजी खसरा नम्बर 1367/0.22, 1372/0.06 कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का **नाम रामलाल की जगह सहवन से रामल्या** दर्ज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पिता का सही **नाम रामलाल** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ जिला अवलर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ जिला अलवर के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/1750 दिनांक 16.09.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जोकि शामिल पत्रावली है। तहसीलदार राजगढ रिपोर्ट के अनुसार **प्रार्थी की पिता नाम रामलाल व रामल्या दौनो को एक ही** व्यक्ति होना बताया गया है। तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार हाल रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का **नाम रामलाल** की जगह सहवन से **रामल्या** दर्ज कर रखा है। उसके स्थान पर प्रार्थी के पिता नाम **रामलाल** दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. वहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की हाल आराजी खाता संख्या 319 आराजी खसरा नम्बर 1367/0.22, 1372/0.06 कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

के पिता का नाम **रामलाल** की जगह सहवन से **रामल्या** दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के पिता का नाम अन्य रिकार्ड में **रामलाल** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पिता का सही नाम **रामलाल** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 16.09.2025, मौक पर्चा पटवारी दिनांक 11.09.2025, आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र की पुष्टि में उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात की जॉच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यो के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में **हाल आराजी खाता संख्या 319 आराजी खसरा नम्बर 1367/0.22, 1372/0.06 कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 है0 वाके ग्राम सुरेर तहसील राजगढ जिला अलवर** *स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामल्या दर्ज है उसके स्थान पर प्रार्थी के पिता का नाम रामलाल दुरूस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।*

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीणा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला - अलवर (राज.)
सत्यमेव जयते